कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय क्षेत्र के पोलीटेकनिक संस्थानों में संचालित डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग, सत्र 2020–21

महत्वपूर्ण निर्देश

(कोविड–19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)

पंजीयन (Registration):–

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कांउसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी **(SC/ST/OBC)** का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर एवं संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऑनलाईन–सत्यापन किया जाकर पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी।
3. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.सी. के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण **(M.P. e-district)** के आवेदन क्रमांक से जाति/मूलनिवासी प्रमाण–पत्रों का ऑनलाईन ई–सत्यापन **(Online e-verification)** किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई–वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन के समय "पंजीयन एवं ई–दस्तावेज" सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड **(Upload)** करने की आवश्यकता नहीं है।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन आंशिक रूप से हुआ है अथवा पूर्णतः नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन में दी गई जानकारियों के आधार को ही सही माना जायेगा। उन्हें केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड **(Upload)** करना होगा।
5. प्रथम/द्वितीय चरण काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।

सत्यापन (Verification):–

6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को, उनके द्वारा अपलोड **(Upload)** किये गये दस्तावेजों से मिलान कर ऑनलाईन सत्यापन करने के उपरान्त ऑनलाईन प्राथमिकतानुसार चयन के लिये पात्र या अपात्र **(Eligible or Not Eligible)** का निर्धारण किया जायेगा।
7. पात्रता या अपात्रता **(Eligible or Not Eligible)** की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. से एवं ईमेल पर भी दी जायेगी।
8. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
9. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, तब अभ्यर्थी पात्रता में सुधार हेतु संबंधित नवीन दस्तावेज अपलोड **(Upload)** कर, ऑनलाईन आवेदन **(Subbmit)** कर सकते हैं, इसके पश्चात ही नवीन, सत्यापित की गई पात्रता के आधार पर प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकते हैं।

प्राथमिकताक्रम का चयन(Choice Filling):–

10. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में पात्र अभ्यर्थी ही संस्था का प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता **(Choice)** भरने की सलाह दी जाती है।
12. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची में प्रतिशत/अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, वे अपनी अंक सूची के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला का दस्तावेज मर्ज **(merge)** करके अपलोड **(Upload)** करें। **(अर्थात अंक सूची एवं ग्रेड कन्वर्जन फार्मूले के दस्तावेज को एक जेपीजी फाईल बनाकर (मर्ज (merge) कर) ही अपलोड करें।**
13. ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु उनकी एक से अधिक अंक सूची हैं, तो वे संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक/पूणंक के साथ परीक्षा परिणाम का भी स्पष्ट उल्लेख हो, को **(Upload)** करें।
14. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्करुपये 130/– देय होगा, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).
15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** करने के लिये रुपये 130/–पोर्टल शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).

आवंटन(Allotment):–

16. अर्हकारी परीक्षा के अंकों की तैयार मेरिट के आधार पर प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

प्रवेश (Admission) :–

17. अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित होकर करवाना होगा।
18. दस्तावेज सत्यापन होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। पावती की जांच करलें कुछ त्रुटि पाये जाने पर तुरंत सत्यापन करने वाले अधिकारी को सुचित करें।
19. पात्र अभ्यर्थियों (Eligible candidate) को आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची प्राप्त करनी अनिवार्य हैं।
20. अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॅाक होकर पूर्ण माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। पर्ची को सुक्षमता जांच लें त्रुटि पाये जाने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सुचित करें।
21. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। और अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को (Not Eligible) की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा।
22. अपात्र अभ्यर्थी (Not Eligible candidate) रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
23. उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नही करना होगा।
24. दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र लाना होगा।
25. अनुपस्थित/अपात्र (Not Eligbile) अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा ऐसे रिक्त स्थान को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) :–

26. समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन के समय पोर्टल शुल्क रू 30/– देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
27. काउंसलिंग वेबसाइट पर संस्था/ब्रान्च वार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
28. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) के लिये निर्धारित समय–सारणी में उपलब्ध प्रथम दिनांक को संस्था स्तर की काउसंलिंग(CLC) उपरान्त सीट रिक्त रहने पर समय–सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउसंलिंग(CLC) आयोजित की जावेगी।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission cancellation) :–

29. किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही पाठ्यक्रमवार घोषित तिथियों में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग अवधि में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते है।
30. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
4. प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल **(MP Mobile) एन्ड्रायड एप** पर कहीं से भी संपादित कर सेव **(Save)** कर लें, तत्पश्चात् ही एमपीऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
5. किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
6. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंवे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियॉ

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो–प्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन **(Registration)** के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन एवं संस्था में रिर्पोटिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेगें।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. ***"किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने है यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल–दस्तावेज जमा किये जाते है तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।"***
5. प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर "चेक केंडिडेट स्टेटस" (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते है।
6. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट **www.afrcmp.org** देखें।

संपर्क :– 0755-6720205, 2660441 ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

अध्यक्ष–काउंसलिंग समिति एवं
आयुक्त तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश